मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०२१

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३)(जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो के कॉलम (२) में, शब्द ''छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा'' के स्थान पर, शब्द ''राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा'' स्थापित किए जाएं.

छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के प्रति निर्देशों का अर्थ लगाया जाना.

३. किसी ऐसी अधिनियमिति के अधीन, जो मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त थी, या अन्यथा जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं, किए गए आदेशों, बनाए गए नियमों, उपविधियों, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, विहित प्रमाण-पत्रों, उपाधियों, उपाधिपत्रों या किन्हीं भी अन्य दस्तावेजों का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो उनमें छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के प्रति किए गए निर्देश राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के प्रति किए गए निर्देश हों.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य के सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और बैतूल जिलों में रहने वाले युवाओं को उच्च शिक्षा हेतु सुगम पहुंच उपलब्ध करने के लिए छिंदवाड़ा, जिला मुख्यालय पर एक नवीन विश्वविद्यालय ''छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय'' स्थापित किया गया है.

२. इन जिलों में बड़ी संख्या में रहने वाले जनजाति युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुगम पहुंच उपलब्ध कराने में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की एक महत्वपूर्ण भूमिका है.

३. स्वतंत्रता संग्राम में राजा शंकर शाह एक लोकप्रिय एवं बलिदानी जनजाति नेता थे, जो इस क्षेत्र में जनजाति युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं.

४. अतएव, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन हेतु ''छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय'' का नाम ''राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय'' के नाम से परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है.

५. विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करने हेतु मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) में यथोचित् संशोधन प्रस्तावित है.

६. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १५ दिसम्बर, २०२१.

डॉ. मोहन यादव
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) से उद्धरण.

द्वितीय अनुसूची

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर और देवास
२.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर, मण्डला, कटनी, नरसिंहपुर और डिण्डौरी.
३.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	इंदौर	इंदौर, झाबुआ, धार, खरगौन (पश्चिम निमाड़), खण्डवा (पूर्व निमाड़), अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी.
४.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, श्योपुर और अशोकनगर.
५.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और सिंगरौली.
६.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़, और हरदा.
७.	महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, पन्ना और दमोह.
८.	छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बैतूल.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.